1. भारत में बाघ संरक्षण

1.1. बाघ

- बाघ (*पेंथेरा टाइग्रिस*) फेलिडे परिवार के स्तनधारी हैं और *पैंथेरा जीनस* में चार "बड़ी बिल्लियों" में से एक हैं।
- यह सभी एशियाई बड़ी बिल्लियों में से सबसे बड़े होते हैं। बाघ शिकार के लिए मुख्य रूप से गंध के बजाय दृष्टि और ध्वनि पर भरोसा करते हैं।
- बड़ी बिल्लियों में केवल टाइगर और जगुआर ही मजबूत तैराक हैं।
- बाघ अकेले शिकार करते हैं और मुख्य रूप से मध्यम से बड़े आकार के शाकाहारी जानवर जैसे हिरण, जंगली सूअर, गौर और जल भैंस को खाते हैं।
- दुनिया भर में, बाघों को **संकटग्रस्त** (endangered) जानवर माना जाता है।
- रॉयल बंगाल टाइगर, बाघ की सबसे आम उप-प्रजाति है और यह भारत का राष्ट्रीय पशु है।

1.1.1. प्राकृतिक आवास

- बाघ विभिन्न प्रकार के आवासों में रहते हैं जैसे उष्णकटिबंधीय वर्षावन, मैंग्रोव दलदल, सदाबहार वन, घास के मैदान, सवाना और चट्टानी क्षेत्र।
- जंगल में, रॉयल बंगाल टाइगर बांग्लादेश, नेपाल, भारत, भूटान और बर्मा और चीन के कुछ हिस्सों के खंडित क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय जंगलों, दलदली भूमि और लंबे घास के मैदानों में रहते हैं।

1.1.2. संरक्षण के मुद्दे

- अपनी सीमा के पार, बाघों को अवैध शिकार, जवाबी हत्याओं, और निवास स्थान के नुकसान से लगातार दबाव का सामना करना पड़ता है।
- वे घनी और अक्सर बढ़ती मानव आबादी के साथ स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए मजबूर हैं।

1.2. प्रोजेक्ट टाइगर

1.2.1. प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत

- प्रोजेक्ट टाइगर **1 अप्रैल, 1973 को** भारत में शुरू की गई एक वन्यजीव संरक्षण परियोजना है।
- इस परियोजना को उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में शुरू किया गया था।

1.2.2. प्रोजेक्ट टाइगर का उद्देश्य

- प्रोजेक्ट टाइगर का उद्देश्य रॉयल बंगाल टाइगर्स (*पैंथेरा टाइग्रिस टाइग्रिस*) को विलुप्त होने से बचाना था।
- परियोजना का उद्देश्य विशेष रूप से गठित बाघ अभयारण्यों में बाघों का संरक्षण करना और उनके प्राकृतिक वातावरण में व्यवहार्य बाघों की आबादी को बनाए रखना है।

1.2.3. प्रोजेक्ट टाइगर की पृष्ठभूमि

- प्रोजेक्ट टाइगर से पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1970 में डॉ कर्ण सिंह की अध्यक्षता में **टाइगर टास्क फोर्स की नियुक्ति** की थी।
- इस टास्क फोर्स ने 1972 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। रिपोर्ट में भारत में सिर्फ 1827 बाघों के होने का खुलासा हुआ था।
- जैविक दबाव को देखते हुए, रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया था कि अगर तत्काल संरक्षण के उपाय नहीं किए गए तो 20वीं सदी के अंत तक बाघ विलुप्त हो जायेंगे।
- 1970 के दशक में, विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों में **9 टाइगर रिजर्व** स्थापित किए गए थे।
- प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत में स्थापित 9 टाइगर रिजर्व थे:
    - मानस (असम), पलामू (बिहार), सिमिलिपाल (उड़ीसा), कॉर्बेट (उत्तर प्रदेश), कान्हा (मध्य प्रदेश), मेलघाट (महाराष्ट्र), बांदीपुर (कर्नाटक), रणथंभौर (राजस्थान) और सुंदरबन (पश्चिम बंगाल)।

1.2.4. प्रोजेक्ट टाइगर की रणनीति

- रिजर्व के भीतर मानव गतिविधि को प्रतिबंधित करने के प्रयास में पहली टास्क फोर्स ने कोर-बफर रणनीति तैयार की थी।

- मुख्य क्षेत्रों को एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में नामित किया गया था और सभी **मानवीय गतिविधियों पर प्रतिबंध** लगा दिया गया था; और बफर क्षेत्र '**संरक्षण उन्मुख भूमि उपयोग**' के अधीन थे।
- मुख्य क्षेत्रों से लोगों को स्थानांतरित करने का विचार था, लेकिन वे बफर क्षेत्रों में बाघों के साथ सह-अस्तित्व में रह सकते थे।
- संरक्षण सिद्धांतों के आधार पर प्रत्येक टाइगर रिजर्व के लिए प्रबंधन योजना तैयार की गई थी।

1.2.5. प्रोजेक्ट टाइगर का प्रशासन

- प्रोजेक्ट टाइगर को राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा प्रशासित किया जाता है।
- परियोजना के समग्र प्रशासन की निगरानी एक संचालन समिति द्वारा की जाती है, जिसका नेतृत्व एक निदेशक करता है।

1.2.6. प्रोजेक्ट टाइगर की उपलब्धियां

- प्रोजेक्ट टाइगर ने लुप्तप्राय बाघ को विलुप्त होने से बचाया है, और इसके निवास स्थान की सुरक्षा और स्थिति में सुधार करके प्रजातियों को पुनर्प्राप्ति के लिए एक सुनिश्चित मार्ग पर रखा है।
- 1973 में नौ टाइगर रिजर्व से बढ़कर 2023 में 54 टाइगर रिजर्व हो गए है।
- प्रमुख प्रजातियों का संरक्षण करते हुए, परियोजना ने पौधों और जानवरों की कई अन्य प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाया है।
- राज्यों को स्थानीय कार्यबल, पूर्व सैन्य कर्मियों की तैनाती के माध्यम से सुरक्षा बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।
- सीमांत क्षेत्रों में पर्यावरण विकास संबंधी निवेशों के अलावा पर्यावरण पर्यटन से स्थानीय समुदाय लाभान्वित हो रहे हैं।
- परियोजना ने वन्यजीव प्रबंधन योजना, आवास बहाली, संरक्षण और पर्यावरण विकास के लिए एक रोल मॉडल के रूप में कार्य किया है।

भारत में टाइगर रिजर्व की सूची

क्र.सं.	टाइगर रिजर्व का नाम	राज्य	प्रोजेक्ट टाइगर के तहत समावेशन का वर्ष	कुल क्षेत्रफल (वर्ग किमी में)

1.	नागार्जुनसागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व	आंध्र प्रदेश	1982-1983	3,296.31
2.	कमलांग टाइगर रिजर्व	अरूणाचल प्रदेश	2016-2017	783.00
3.	नमदाफा टाइगर रिजर्व	अरूणाचल प्रदेश	1982- 1983	2,052.82
4.	पक्के टाइगर रिजर्व	अरूणाचल प्रदेश	1999-2000	1,198.45
5.	काजीरंगा टाइगर रिजर्व	असम	2008-2009	1,173.58
6.	मानस टाइगर रिजर्व	असम	1973-1974	2,837.10
7.	नमेरी टाइगर रिजर्व	असम	1999-2000	464.00
8.	ओरंग टाइगर रिजर्व	असम	2016	492.46
9.	वाल्मीकि टाइगर रिजर्व	बिहार	1989-1990	899.38
10.	अचानकमार टाइगर रिजर्व	छत्तीसगढ	2008-2009	914.01
11।	इंद्रावती टाइगर रिजर्व	छत्तीसगढ	1982-1983	2,799.07
12.	उदंती-सीतानदी टाइगर रिजर्व	छत्तीसगढ	2008-2009	1,842.54
13.	पलामू टाइगर रिजर्व	झारखंड	1973-1974	1,129.93
14.	बांदीपुर टाइगर रिजर्व	कर्नाटिक	1973-1974	1,456.30
15.	भद्रा टाइगर रिजर्व	कर्नाटिक	1994-1995	1,064.29
16.	बिलीगिरी रंगनाथ मंदिर टाइगर रिजर्व	कर्नाटिक	2010-2011	574.82

17.	डंडेली-अंशी (काली) टाइगर रिजर्व	कर्नाटक	2008-2009	1,097.51
18.	नागरहोल टाइगर रिजर्व	कर्नाटक	2008-2009	1,205.76
19.	परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व	केरल	2008-2009	643.66
20.	पेरियार टाइगर रिजर्व	केरल	1978-1979	925.00
21.	बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व	मध्य प्रदेश	1993-1994	1,536.93
22.	कान्हा टाइगर रिजर्व	मध्य प्रदेश	1973-1974	2,051.79
23.	पन्ना टाइगर रिजर्व	मध्य प्रदेश	1993-1994	1,598.10
24.	पेंच टाइगर रिजर्व	मध्य प्रदेश	1992-1993	1,179.63
25.	संजय-डुबरी टाइगर रिजर्व	मध्य प्रदेश	2008-2009	1,674.50
26.	सतपुड़ा टाइगर रिजर्व	मध्य प्रदेश	1999-2000	2,133.30
27.	बोर टाइगर रिजर्व	महाराष्ट्र	2014	816.27
28.	मेलघाट टाइगर रिजर्व	महाराष्ट्र	1973-1974	2,768.52
29.	नवेगांव-नगजीरा टाइगर रिजर्व	महाराष्ट्र	2013-2014	1,894.94
30.	पेंच टाइगर रिजर्व	महाराष्ट्र	1998-1999	741.22
31.	सह्याद्री टाइगर रिजर्व	महाराष्ट्र	2009-2010	1,165.57
32.	ताडोबा-अंधारी टाइगर रिजर्व	महाराष्ट्र	1993-1994	1,727.59
33.	डंपा टाइगर रिजर्व	मिजोरम	1994-1995	988.00

34.	सतकोसिया टाइगर रिजर्व	ओडिशा	2008-2009	963.87
35.	सिमिलिपाल टाइगर रिजर्व	ओडिशा	1973-1974	2750.00
36.	मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व	राजस्थान Rajasthan	2013-2014	759.99
37.	रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व	राजस्थान Rajasthan	2022	1,501.89
38.	रणथंभौर टाइगर रिजर्व	राजस्थान Rajasthan	1973-1974	1,411.29
39.	सरिस्का टाइगर रिजर्व	राजस्थान Rajasthan	1978-1979	1,213.34
40.	अन्नामलाई टाइगर रिजर्व	तमिलनाडु	2008-2009	1,479.87
41.	कलाकड़-मुंडनथुराई टाइगर रिजर्व	तमिलनाडु	1988-1989	1,601.54
42.	मुदुमलाई टाइगर रिजर्व	तमिलनाडु	2008-2009	688.59
43.	सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व	तमिलनाडु	2013-2014	1,408.40
44.	श्रीविल्लीपुथुर मेगामलाई टाइगर रिजर्व	तमिलनाडु	2020-2021	1,016.57
45.	अमराबाद टाइगर रिजर्व	तेलंगाना	2014-2015	2,611.39
46.	कवल टाइगर रिजर्व	तेलंगाना	2012-2013	2,015.44
47.	दुधवा टाइगर रिजर्व	उतार प्रदेश।	1987-1988	2,201.77
48.	पीलीभीत टाइगर रिजर्व	उतार प्रदेश।	2014	730.25
49.	रानीपुर टाइगर रिजर्व	उतार प्रदेश।	2022-2023	529.36

	अमानागढ़ बफर*	उतार प्रदेश।	2012-2013	80.60
50.	कॉर्बेट टाइगर रिजर्व	उत्तराखंड	1973-1974	1288.31
51.	राजाजी टाइगर रिजर्व	उत्तराखंड	2015	1075.17
52.	बक्सा टाइगर रिजर्व	पश्चिम बंगाल	1982-1983	7,57.90
53.	सुंदरबन टाइगर रिजर्व	पश्चिम बंगाल	1973-1974	2,584.89

*** अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, उत्तर प्रदेश जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, उत्तराखंड का एक बफर जोन है और इसे एक अलग टाइगर रिजर्व के रूप में नहीं माना जा सकता है। इसमें 80.6 वर्ग किमी (31.1 वर्ग मीटर) का एक बफर जोन है, लेकिन महत्वपूर्ण बाघ आवास का कोई मुख्य क्षेत्र नहीं है।**

राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA)

- 2005 के टाइगर टास्क फोर्स द्वारा अनुशंसित **वन्य जीव (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2006 के तहत** NTCA का गठन किया गया है।
- इसकी स्थापना पर्यावरण और वन मंत्री की अध्यक्षता में नई दिल्ली में मुख्यालय के साथ की गई थी।
- NTCA का उद्देश्य प्रोजेक्ट टाइगर को वैधानिक अधिकार प्रदान करना है ताकि इसके निर्देशों का अनुपालन कानूनी हो सके।
- प्राधिकरण राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के अलावा टाइगर रिजर्व में बाघ संरक्षण के लिए मानक और दिशानिर्देश निर्धारित करता है।
- यह भविष्य की संरक्षण योजना, बाघ अनुमान, रोग निगरानी, मृत्यु दर सर्वेक्षण, गश्त, अप्रिय घटनाओं पर रिपोर्ट और ऐसे अन्य प्रबंधन पहलुओं सहित सुरक्षा उपायों पर जानकारी प्रदान करता है, जैसा भी यह उचित समझे।

1.3. बाघों की गणना

- यह हर चार साल में एक बार आयोजित किया जाता है।

- राष्ट्रव्यापी बाघ गणना पहले 2006, 2010, 2014 और 2018 में आयोजित की गई थी।
- NTCA राज्य के वन विभागों, संरक्षण गैर सरकारी संगठनों और भारतीय वन्यजीव संस्थान (WII) के साथ साझेदारी में बाघों की गणना करता है।

1.3.1. बाघ गणना 2022

- अखिल भारतीय बाघ अनुमान (2022) का पांचवां चक्र **09 अप्रैल, 2023 को जारी** किया गया था।

बाघ गणना 2022 के मुख्य बिंदु

जनसंख्या वृद्धि

- भारत में बाघों की आबादी 2018 से 2022 तक 200 बढ़ी है।
- 2018 में दर्ज 2,967 से 2022 में जनसंख्या बढ़कर **3,167** हो गई।
- हालांकि, 2014-2018 के तुलना में इन चार वर्षों में विकास दर लगभग 33 प्रतिशत से घटकर 6.7 प्रतिशत हो गई है।
- शिवालिक पहाड़ियों और गंगा के बाढ़ के मैदानों में बाघों की आबादी सबसे अधिक बढ़ी है, इसके बाद मध्य भारत, उत्तर पूर्वी पहाड़ियों, ब्रह्मपुत्र बाढ़ के मैदानों और सुंदरबन का स्थान आता है।

बाघ अधिभोग में गिरावट

- पश्चिमी घाटों की संख्या में गिरावट आई है, हालांकि "प्रमुख आबादी" को स्थिर बताया गया है।
- अन्नामलाई-परम्बिकुलम परिसर के संरक्षित क्षेत्रों के बाहर भी बाघों के रहने की संख्या में गिरावट देखी गई।
- हालांकि पेरियार परिदृश्य में बाघों की आबादी स्थिर रही, पेरियार के बाहर बाघों की संख्या में कमी आई है।
- झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में बाघों के अधिभोग में गिरावट देखी गई।

परिदृश्य में संरक्षण प्राथमिकता

- सिमलीपाल में बाघों की आनुवंशिक रूप से अद्वितीय और छोटी आबादी परिदृश्य में उच्च संरक्षण प्राथमिकता है।

- उत्तरपूर्वी पहाड़ी बाघों की आबादी आनुवंशिक रूप से अद्वितीय है और उनकी कम जनसंख्या आकार और आनुवंशिक रूप से अद्वितीय वंशावली के कारण देश में संरक्षण कार्रवाई की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।
- परिदृश्य (शिवालिक पहाड़ियों और गंगा के मैदानों) में टाइगर रिज़र्व के बाहर बाघों की संख्या बढ़ने के साथ, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश को बाघों और मेगा शाकाहारी जीवों के साथ संघर्ष को कम करने के लिए निवेश करने की आवश्यकता है।

वन्यजीव आवास में खतरा

- मध्य भारतीय के पहाड़ी इलाके और पूर्वी घाटों के भीतर वन्यजीव आवास (संरक्षित क्षेत्र और गलियारे) कई प्रकार के खतरों का सामना करते हैं, जिनमें आवास अतिक्रमण, बाघों और उनके शिकार दोनों का अवैध शिकार शामिल है।
- मानव और वन्य जीवन के बीच संघर्ष, अनियंत्रित और अवैध पशु चराई, गैर-लकड़ी वन उपज की अत्यधिक कटाई, मानव प्रेरित जंगल की आग, खनन, और कभी-विस्तारित रैखिक बुनियादी ढांचा भी आम हैं।
- इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण खनिजों की कई खदानें भी हैं, इसलिए न्यून खनन प्रभाव तकनीक और खनन स्थलों के पुनर्वास जैसे शमन उपायों को प्राथमिकता दिया जाना चाहिए।

1.4. अन्य संरक्षण प्रयास

1.4.1. इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस (IBCA)

- **भारत ने 9 अप्रैल, 2023 को** इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस (IBCA) लॉन्च किया।
- यह दुनिया में **बड़ी बिल्ली की सात प्रमुख प्रजातियों के रक्षण** और संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करेगा।
- ये प्रजातियां बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जगुआर और चीता हैं।
- गठबंधन इन सात बड़ी बिल्ली के प्रजातियों के संरक्षण प्रयासों पर सहयोग करने के लिए दुनिया भर के देशों, संरक्षणवादियों और विशेषज्ञों को एक साथ लाना चाहता है।

- IBCA के माध्यम से, भारत इन प्रजातियों के संरक्षण में ज्ञान, विशेषज्ञता और सर्वोत्तम प्रथाओं को अन्य देशों के साथ साझा करने की उम्मीद करता है, जहां इंडोनेशिया, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका जैसे बड़ी बिल्ली आबादी है।
- गठबंधन का उद्देश्य संरक्षण के लिए स्थायी समाधान बनाने के लिए सरकारों, गैर सरकारी संगठनों और निजी क्षेत्र के बीच सहयोग को सुविधाजनक बनाना है।

1.4.2. क्रिटिकल टाइगर हैबिटैट्स (CTHs)

- क्रिटिकल 'टाइगर' हैबिटैट्स (CTHs), जिसे टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है- की पहचान **वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत** की जाती है।
- यह वैज्ञानिक प्रमाणों पर आधारित है कि "अनुसूचित जनजातियों या ऐसे अन्य वनवासियों के अधिकारों को प्रभावित किए बिना, ऐसे क्षेत्रों को बाघ संरक्षण के उद्देश्य से अक्षत के रूप में रखा जाना आवश्यक है"।
- CTH की अधिसूचना राज्य सरकार द्वारा इस उद्देश्य के लिए गठित विशेषज्ञ समिति के परामर्श से की जाती है।
- आंध्र प्रदेश में **नागार्जुनसागर-श्रीशैलम टाइगर रिजर्व** भारत में सबसे बड़ा बाघ रिजर्व है, जिसमें **CTH के तहत सबसे बड़ा क्षेत्र है।**

सरिस्का टाइगर क्राइसिस

- भारत ने पहली बार महसूस किया कि उसके बाघ संरक्षण कार्यक्रम विफल हो रहे है जब 2004 में सरिस्का ने अपने सभी बाघ खो दिए।
- मार्च 2005 तक, भारतीय वन्यजीव संस्थान (WII) ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट में पुष्टि की कि वास्तव में सरिस्का में कोई बाघ नहीं बचा है।
- उसके बाद, भारत के तत्कालीन प्रधान मंत्री ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से गुमशुदगी की जाँच करने को कहा।
- CBI ने बताया कि जुलाई 2002 से, शिकारी बाघों को रिजर्व में मार रहे थे और आखिरी छह बाघ 2004 के ग्रीष्मकालीन-मानसून में मारे गए थे।
- प्रधान मंत्री ने बाघ संरक्षण की समीक्षा करने के लिए एक जनादेश के साथ टाइगर टास्क

फोर्स (TTF) की स्थापना की। TTF ने अगस्त 2005 में जॉइनिंग द डॉट्स शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रस्तुत की।

- रिपोर्ट ने टाइगर रिजर्व में प्रबंधन टूटने और क्षेत्र में 'वाणिज्यिक' अवैध शिकार की भूमिका की ओर इशारा किया।
- रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि पार्क के कोर क्षेत्र के भीतर मानव आवास बाघों के आवास में गिरावट और अशांति का कारण बन रहे हैं।
- आखिरकार, प्रोजेक्ट टाइगर, राष्ट्रीय बाघ-संरक्षण कार्यक्रम को और अधिक अधिकार दिए गए और 2006 में NTCA और वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो का गठन किया गया।

1.5. अंतर्राष्ट्रीय पहल

1.5.1. अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस

- बाघ संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए **हर साल 29 जुलाई को** अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस (जिसे वैश्विक बाघ दिवस भी कहा जाता है) मनाया जाता है।
- इस दिन को मनाने का लक्ष्य जंगली बाघों के आवासों के संरक्षण और विस्तार को बढ़ावा देना और बाघ संरक्षण के लिए जागरूकता के माध्यम से समर्थन प्राप्त करना है।
- इसकी स्थापना 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग बाघ सम्मेलन में हुई थी।
- शिखर सम्मेलन ने 2022 तक बड़ी बिल्ली की आबादी को दोगुना करने के उद्देश्य से बाघ संरक्षण पर सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा जारी की थी।

1.5.2. सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा

- बाघों को विलुप्त होने से बचाने के प्रयास में, रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में 21-24 नवंबर 2010 को आयोजित अंतर्राष्ट्रीय बाघ संरक्षण फोरम में 13 सरकारी प्रतिनिधियों की बैठक हुई।
- उन्होंने सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा का समर्थन किया और 2022 तक बाघों की संख्या को दोगुना करने पर सहमत हुए।

- बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, चीन, भारत, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, नेपाल, रूस, थाईलैंड और वियतनाम टाइगर रेंज के देश हैं जो ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम, सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा द्वारा परिकल्पित रणनीतिक योजना को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। .
- 13 देशों ने अंतरराष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने, प्रजातियों के आवासों और सीमा पार गलियारों को बहाल करने में मदद करने के लिए वैज्ञानिक निगरानी में सुधार करने और बाघों और बाघ उत्पादों के अवैध व्यापार को रोकने पर सहमति व्यक्त की।
- रिकवरी प्रोग्राम सेंट पीटर्सबर्ग लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए स्थानीय लोगों को बाघों की रक्षा के लिए प्रोत्साहन देने और वन्यजीव कानून प्रवर्तन और कानून को मजबूत करने के महत्व को रेखांकित करता है।

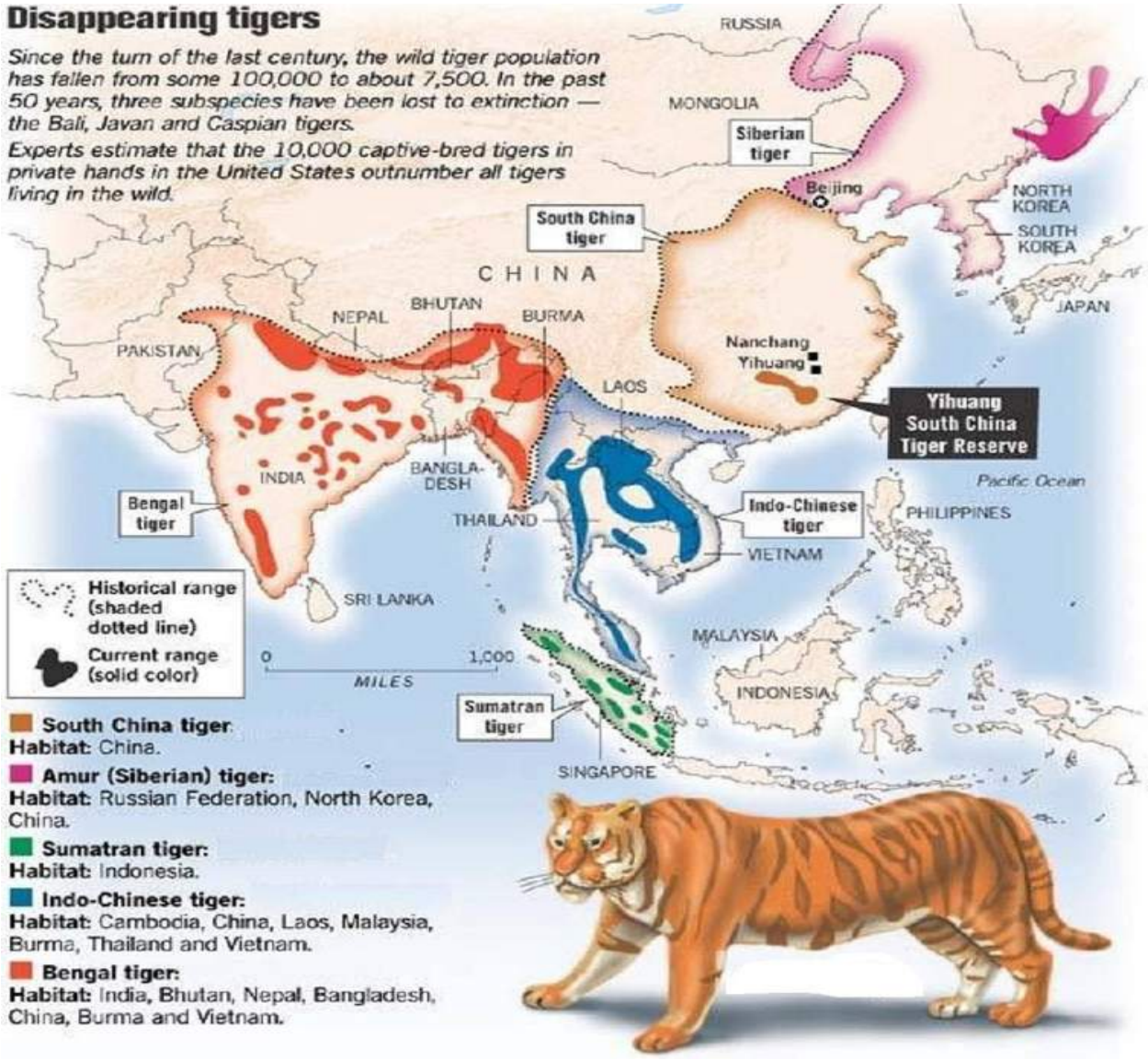

Figure: टाइगर/बाघ रेंज के देश

1.5.3. ग्लोबल टाइगर फोरम (GTF)

- ग्लोबल टाइगर फोरम (GTF) एकमात्र अंतर-सरकारी अंतरराष्ट्रीय निकाय है, जिसकी स्थापना बाघों की रक्षा के लिए वैश्विक अभियान शुरू करने के इच्छुक देशों के सदस्यों के साथ की गई है।
- GTF का गठन 1993 में नई दिल्ली, भारत में बाघ संरक्षण पर एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी की सिफारिशों पर किया गया था।
- यह दुनिया के **13 टाइगर रेंज के देशों** में वितरित बाघों की शेष 5 उप-प्रजातियों को बचाने पर केंद्रित है।

- यह सहकारी नीतियों, सामान्य दृष्टिकोण, तकनीकी विशेषज्ञता, वैज्ञानिक मॉड्यूल और अन्य उपयुक्त कार्यक्रमों का उपयोग करता है।
- फोरम की स्थापना के लिए टाइगर रेंज देशों की पहली बैठक 1994 में हुई थी, जिसमें भारत को अध्यक्ष के लिए चुना गया था और एक अंतरिम सचिवालय बनाने के लिए कहा गया था।
- 1997 में, GTF एक स्वतंत्र संगठन बन गया।

2. भारत में शेर संरक्षण

2.1. एशियाई शेर

- इसका वैज्ञानिक नाम *पैंथेरा लियो पर्सिका* है।
- यह शेर की एक उप-प्रजाति है जो आज भारत के गुजरात के गिर वन में ही जीवित है।
- खतरे वाली प्रजातियों की IUCN रेड लिस्ट में, उन्हें **संकटग्रस्त** (Endangered) प्रजातियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- एशियाई शेर पहले भूमध्यसागर से लेकर भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर-पूर्वी हिस्सों तक फैले हुए थे, लेकिन अत्यधिक शिकार, जल प्रदूषण और प्राकृतिक शिकार (prey) में गिरावट ने उनके निवास स्थान को कम कर दिया।

2.1.1. संरक्षण के मुद्दे

- शेरों को अवैध शिकार और आवास विखंडन के सामान्य खतरों का सामना करना पड़ता है।
- गिर वन की परिधि के किसान (जिन्हें मालधारी कहा जाता है) अक्सर अपरिष्कृत और अवैध विद्युत बाड़ का उपयोग करते हैं।
    - ये आमतौर पर अपनी फसलों को नीलगाय से बचाने के लिए होते हैं लेकिन शेर और अन्य वन्यजीव भी मारे जाते हैं।
- पशुओं पर हमला करने के कारण शेरों को अक्सर जहर दे दिया जाता है।
- सिंचाई के लिए क्षेत्र में किसानों द्वारा खोदे गए लगभग 15,000 से 20,000 खुले कुओं के कारण कई शेर डूब जाते हैं।

- बाढ़, आग और महामारी। शेरों की प्रतिबंधित सीमा उन्हें विशेष रूप से सुभेद्य बनाती है।
- आवास अतिप्रजन। गिर का जंगल अब शेरों से भर गया है। यदि यही स्थिति बनी रही तो शीघ्र ही वहन क्षमता से संबंधित समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं।

2.2. संरक्षण के प्रयास

- वर्ष 1910 में पहली बार एशियाई शेरों के संरक्षण के प्रयास किए गए।
- जूनागढ़ के नवाब ने अपने प्रांत की सीमाओं के भीतर शेरों के शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया। 1947 में जब भारत को स्वतंत्रता मिली तब भी यह प्रतिबंध जारी रहा।
- 1960 के दशक में, गिर वन, अंतिम जीवित भारतीय शेरों का घर, एक राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य में परिवर्तित कर दिया गया था।
- शेर संरक्षण कार्यक्रम 1965 में शुरू किया गया था। तब से शेरों की संख्या लगातार बढ़ रही है।
- वर्तमान में, मध्य प्रदेश में कूनो-पालपुर परियोजना गिर में शेरों की भीड़ को कम करने के उद्देश्य से शुरू की जा रही है। शेरों की अधिक आबादी को यहां स्थानांतरित किया जाएगा। पालपुर-कुनो पूर्व में शेरों का निवास स्थान रहा है।

2.3. प्रोजेक्ट लायन

2.3.1. प्रोजेक्ट लायन की शुरुआत

- प्रोजेक्ट लायन की घोषणा 15 अगस्त, 2020 को 74वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान की गई थी।
- इसको एशियाई शेर के संरक्षण के लिए शुरू किया गया है, जिसकी अंतिम शेष वन्य आबादी गुजरात के एशियाई शेर लैंडस्केप में है।

2.3.2. प्रोजेक्ट लायन का उद्देश्य

- इसका उद्देश्य प्रबंधन में आधुनिक तकनीकों के साथ-साथ शेरों में बीमारियों के मुद्दे को संबोधित करते हुए आवास विकास करना है।

- यह परियोजना मानव-वन्यजीव संघर्ष को भी संबोधित करेगी। इसमें शेरों के परिदृश्य के आसपास रहने वाले स्थानीय समुदायों को शामिल किया जाएगा और आजीविका के अवसर भी प्रदान किए जाएंगे।

2.3.3. प्रोजेक्ट लायन का कार्यान्वयन

- यह परियोजना पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन होगी और इसे प्रोजेक्ट टाइगर की तर्ज पर बनाया गया है।
- परियोजना ने शेरों के प्रजनन के उद्देश्य से सौराष्ट्र के रामपारा और जूनागढ़ के सक्करबाग और सतवीरदा में तीन "जीन पूल" स्थानों की स्थापना की है।
- इस परियोजना ने देश में इन प्रजातियों के पुन: परिचय के छह नए संभावित स्थानों की भी पहचान की है।

2.3.4. छह नई संभावित स्थाने

कूनो-पालपुर वन्यजीव अभयारण्य के अलावा प्रोजेक्ट लायन के तहत पहचाने गए छह नए स्थान हैं:

- माधव राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश।
- सीतामाता वन्यजीव अभयारण्य, राजस्थान।
- मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, राजस्थान।
- गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य, मध्य प्रदेश।
- कुम्भलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य, राजस्थान।
- जेस्सोर-बलराम अंबाजी WLS और आसपास के परिदृश्य, गुजरात।

2.4. एशियाई शेरों की स्थिति

- जून 2020 में, गुजरात वन विभाग ने गिर वन क्षेत्र में एशियाई शेरों की आबादी में वृद्धि की घोषणा की।
- 2015 की सिंह गणना में 523 की तुलना में **कुल 674 शेर** दर्ज किए गए।
- गिनती का अनुमान 15वीं सिंह गणना के स्थान पर पूनम एवलोकन नामक जनसंख्या अवलोकन अभ्यास से लगाया गया।

- शेरों की 15वीं गणना 5 और 6 जून 2020 को होने वाली थी, लेकिन कोविड-19 के प्रकोप के कारण इसे अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया।
- 2015 में पिछली गणना से शेरों की आबादी में लगभग **29% की वृद्धि** हुई है।
- इसके अलावा, शेरों का वितरण 2015 में 22,000 वर्ग किमी से बढ़कर 2020 में 30,000 वर्ग किमी हो गया है। इससे पता चलता है कि गिर के जंगलों के शेरों के भौगोलिक वितरण क्षेत्र में 36% की वृद्धि हुई है।
- पिछले कई वर्षों में, सामुदायिक भागीदारी, प्रौद्योगिकी पर जोर, वन्यजीव स्वास्थ्य देखभाल, उचित आवास प्रबंधन और मानव-शेर संघर्ष को कम करने के कदमों के कारण गुजरात में शेरों की आबादी लगातार बढ़ रही है।

3. भारत में गैंडे का संरक्षण

3.1. एक-सींग वाला गैंडा (भारतीय गैंडा)

- भारतीय गैंडा (*राइनोसेरोस यूनिकॉर्निस*), जिसे एक-सींग वाला गैंडा भी कहा जाता है, राइनोसेरोटिडे परिवार से संबंधित है।
- यह IUCN रेड लिस्ट में **सुभेद्य** (Vulnerable) प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध है।
- यह मुख्य रूप से उत्तर-पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में और नेपाल के तराई में संरक्षित क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जहां आबादी हिमालय की तलहटी में नदी के घास के मैदानों तक ही सीमित है।
- 2260 किग्रा और 3000 किग्रा के बीच वजनी, यह चौथा सबसे बड़ा भूमि जानवर है और इसका एक सींग है, जिसकी लंबाई 20 सेमी से 57 सेमी है।

राइनो (गैंडों) की पांच प्रजातियां

- गैंडों की पाँच प्रजातियाँ हैं: अफ्रीका में सफ़ेद और काले गैंडे, और एशिया में ग्रेटर वन-हॉर्न्ड (एक-सींग), जावन और सुमात्रान राइनो प्रजातियाँ।

IUCN रेड लिस्ट में पांच राइनो प्रजातियों की स्थिति

- **काला गैंडा: गंभीर रूप से संकटग्रस्त (Critically Endangered)**

- सफेद राइनो: निकट संकटग्रस्त (Near Threatened)
- एक सींग वाला राइनो: सुभेद्य (Vulnerable)
- **जावन राइनो: गंभीर रूप से संकटग्रस्त (Critically Endangered)**
- **सुमात्राण राइनो: गंभीर रूप से संकटग्रस्त (Critically Endangered)**

3.1.1. संरक्षण के मुद्दे

- उन्नीसवीं और बीसवीं सदी की शुरूआत में, भारतीय गैंडों का लगातार शिकार किया जाता था।
- भारतीय गैंडे का उसके सींग के लिए अवैध रूप से शिकार किया जाता है, जिसके बारे में पूर्वी एशिया की कुछ संस्कृतियों का मानना है कि उसके सींग में चिकित्सा की शक्ति है और इसलिए इसका उपयोग पारंपरिक चीनी चिकित्सा और अन्य ओरिएंटल दवाओं के लिए किया जाता है।
- पर्यावास हानि से भी इन्हे खतरा है।

3.2. संरक्षण के प्रयास

- 1900 की शुरूआत में, अधिकारी गैंडों की घटती संख्या से चिंतित हो गए।
- 1908 तक, गैंडों की मुख्य श्रेणियों में से एक, काजीरंगा में, आबादी लगभग 12 हो गई थी। 1910 में, भारत में गैंडों के सभी शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया गया।
- ऑपरेशन राइनो संरक्षण की एक बड़ी सफलता है। 1900 के प्रारंभ में केवल 100 गैंडे रह गए थे; एक सदी बाद, उनकी आबादी फिर से बढ़कर लगभग 2000 हो गई।
- नेपाल और भारत की सरकारों ने विश्व वन्यजीव कोष (WWF) की मदद से भारतीय गैंडों के संरक्षण की दिशा में बड़े कदम उठाए हैं।
- काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान (गैंडों की सबसे अधिक संख्या वाला) और पोबितोरा आरक्षित वन (दुनिया में सबसे अधिक भारतीय राइनो घनत्व वाला) गैंडों के सबसे महत्वपूर्ण आवास हैं।
- 2019 में भारत द्वारा अपनाई गई राष्ट्रीय राइनो संरक्षण रणनीति का उद्देश्य 2030 तक राइनो वितरण को 5% तक बढ़ाना है।
    - इसने भारत और नेपाल के बीच एक सींग वाले गैंडों के संरक्षण के लिए सक्रिय भागीदारी का आह्वान किया है।

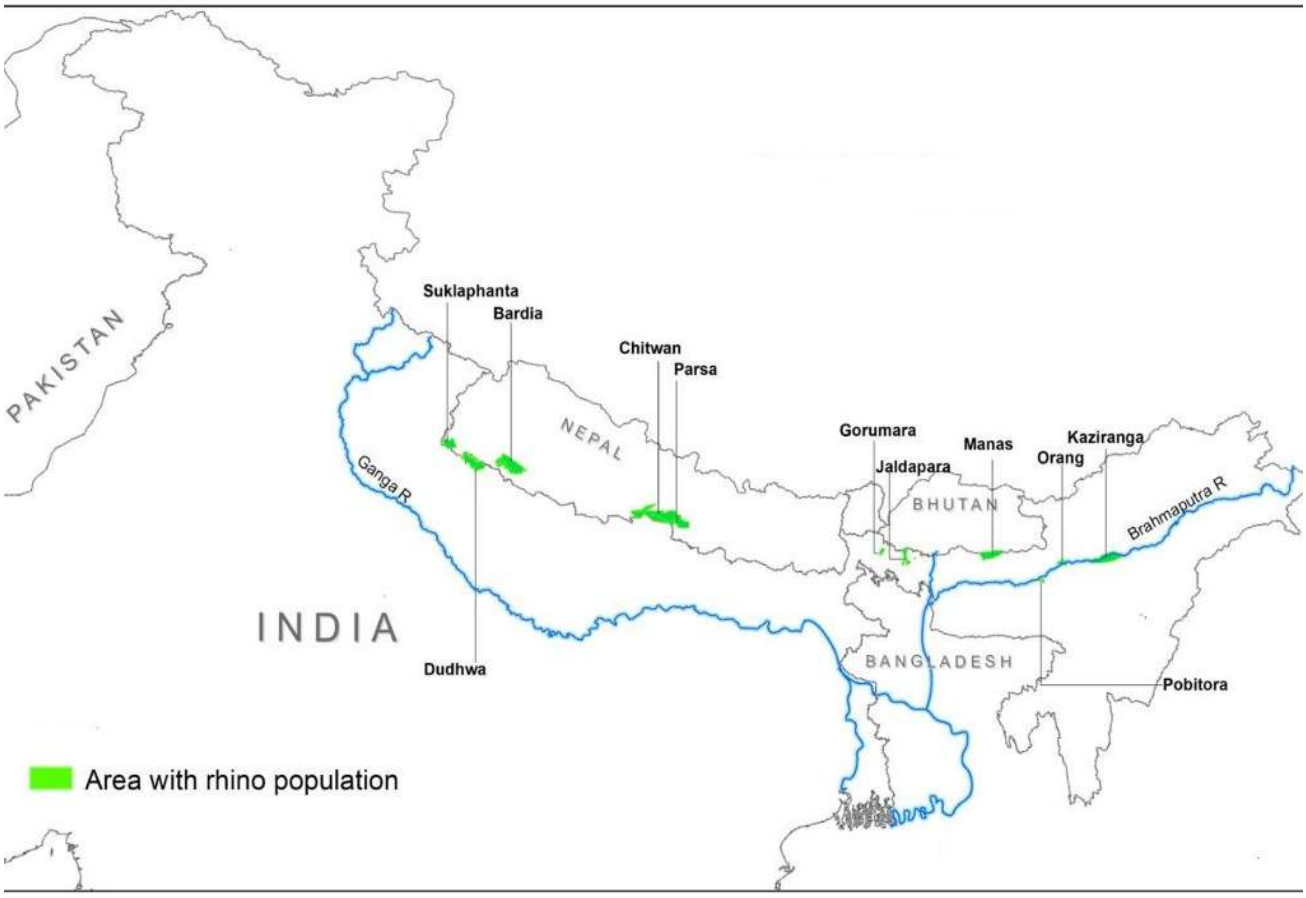

Figure: एक सींग वाले गैंडों का आवास

3.3. इंडियन राइनो विजन 2020 (IRV2020)

3.3.1. IRV2020 की शुरुआत

- इसे 2005 में लॉन्च किया गया था और अप्रैल 2021 में बंद कर दिया गया।

3.3.2. IRV2020 का उद्देश्य

- IRV2020 का मुख्य उद्देश्य वर्ष 2020 तक अपने 7 संरक्षित क्षेत्रों (PAs) में वितरित असम में 3000 जंगली गैंडों की आबादी हासिल करना था।
- सात संरक्षित क्षेत्र काजीरंगा, पोबितोरा, ओरंग राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, लाओखोवा वन्यजीव अभयारण्य, बुराचापोरी वन्यजीव अभयारण्य और डिब्रू सैखोवा वन्यजीव अभयारण्य हैं।

- वन्य-से-वन्य अनुवादन IRV2020 का एक अनिवार्य हिस्सा था, इसके तहत काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जैसे घनी आबादी वाले पार्कों से गैंडों को हटा कर, मानस नेशनल पार्क जैसे गैंडों की जरूरत वाले स्थान पर करना था।

3.3.3. IRV2020 का कार्यान्वयन

- IRV2020 को असम सरकार के पर्यावरण और वन विभाग द्वारा लागू किया गया था।
- बोडो स्वायत्त परिषद कार्यक्रम में एक सक्रिय भागीदार थी।
- कार्यक्रम को WWF-इंडिया, WWF AREAS (एशियन राइनो एंड एलिफेंट्स एक्शन स्ट्रैटेजी) प्रोग्राम, द इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन (IRF), सेव द राइनो कैंपेन ऑफ जूलॉजिकल इंस्टीट्यूशंस वर्ल्डवाइड और कई स्थानीय गैर सरकारी संगठनों द्वारा समर्थित किया गया था।

3.3.4. IRV2020 का प्रदर्शन

- 13 अप्रैल 2021 को पोबितोरा वन्यजीव अभयारण्य से असम के मानस राष्ट्रीय उद्यान में दो गैंडों को स्थानांतरित करने के बाद यह समाप्त हो गया। यह IRV2020 के तहत गैंडों के स्थानांतरण का आठवां दौर था।
- इसके साथ, IRV2020 को असम में 3,000 गैंडों की आबादी हासिल करने के अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए माना जाता है।
- हालाँकि, पोबितोरा वन्यजीव अभयारण्य, ओरंग और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यानों से परे चार संरक्षित क्षेत्रों में गैंडों की आबादी को फैलाने की योजना को पूरा नहीं किया गया था।

3.4. संख्या और वितरण

- अवैध शिकार के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई, आवास निर्माण के संयोजन के साथ, एक सींग वाले गैंडों की आबादी को **4,014 तक** बढ़ाने में मदद मिली है।
- स्टेट ऑफ राइनो रिपोर्ट 2022 के अनुसार, 2018 में रिपोर्ट की गई टैली की तुलना में एक सींग वाले गैंडों की संख्या 2022 में 426 अधिक है।
- एक दशक पहले एक सींग वाले गैंडों की आबादी 2,454 थी।
- काजीरंगा ने अकेले 2018 में दर्ज संख्या की तुलना में 200 अधिक गैंडों की सूचना दी।

- भारत और नेपाल की सरकारों द्वारा अवैध शिकार को रोकने के साथ-साथ गैंडों के लिए आवास बनाने के कारण जनसंख्या काफी हद तक बढ़ रही है।
- असम का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रजातियों (2,613) के लिए सबसे बड़ा निवास स्थान है, इसके बाद
    - पश्चिम बंगाल में जलदापारा राष्ट्रीय उद्यान (287),
    - असम में ओरंग राष्ट्रीय उद्यान (125),
    - पोबितोरा वन्यजीव अभयारण्य (107),
    - पश्चिम बंगाल में गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान (52),
    - असम में मानस राष्ट्रीय उद्यान (40) और
    - उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान (38)।

4. भारत में हाथी संरक्षण

4.1. एशियाई हाथी

- एशियाई हाथी (*एलिफस मैक्सिमस*) भारत का सबसे बड़ा स्थलीय स्तनपायी है।
- ऐसा माना जाता था कि भूतकाल में वे व्यापक रूप से वितरित थे - पश्चिम एशिया में टाइग्रिस - यूफ्रेट्स से पूर्व में फारस के माध्यम से भारतीय उपमहाद्वीप, दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में श्रीलंका, जावा, सुमात्रा, बोर्नियो और उत्तरी चीन तक।
- हालाँकि, वर्तमान में वे भारतीय उपमहाद्वीप, दक्षिण पूर्व एशिया और कुछ एशियाई द्वीपों - श्रीलंका, इंडोनेशिया और मलेशिया तक ही सीमित हैं।
- सभी वन्य एशियाई हाथियों में से आधे से अधिक भारत में पाए जाते हैं।
- उन्हें 1986 से IUCN रेड लिस्ट में **संकटग्रस्त** (Endangered) के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।

हाथियों के बारे में कुछ तथ्य

- हाथी परिवारों में एक मातृसत्तात्मक मुखिया होती है, जिसका अर्थ है कि एक वृद्ध, अनुभवी हथिनी झुंड का नेतृत्व करती है।

- एक परिवार में आमतौर पर एक माँ, उसकी बहनें, बेटियाँ और उनके बच्चे (बछड़े) होते हैं।
- महिला परिवार इकाइयाँ तीन से पच्चीस हाथियों तक होती हैं।
- हथिनी एक दूसरे के बछड़ों की देखभाल में मदद करती हैं। अन्य मादा के बछड़ों की देखभाल करना हाथी के विकास के लिए महत्वपूर्ण है; युवा मादाएं सीखती हैं कि बच्चों की देखभाल कैसे की जाती है, और बछड़ों को दिखाया जाता है कि यह कैसे किया जाता है।
- वे दोस्तों और परिवार के सदस्यों के बीच मजबूत, अंतरंग बंधन विकसित करने के लिए जाने जाते हैं। इसके अलावा वे सभी स्तनधारियों में सबसे लंबी गर्भावस्था अवधि के लिए जाने जाते है, जो 680 दिन (22 महीने) तक चलती है।
- 14 से 45 वर्ष के बीच की हथिनी लगभग हर चार साल में बछड़ों को जन्म दे सकती हैं, औसत अंतर-जन्म अंतराल 52 वर्ष की आयु तक पाँच वर्ष और 60 वर्ष की आयु तक छह वर्ष तक बढ़ जाता है।

4.1.1. भारत में हाथियों का आवास

- हाथी एक विस्तृत श्रृंखला वाला जानवर है इस कारण से इसे बड़े क्षेत्रों की आवश्यकता होती है।
- हाथियों के लिए भोजन और पानी की आवश्यकता बहुत अधिक होती है और इसलिए उनकी आबादी को केवल वनों द्वारा समर्थित किया जा सकता है जो इष्टतम परिस्थितियों में हैं।
- हाथियों की स्थिति जंगलों की स्थिति का सबसे अच्छा संकेतक हो सकती है।
- भारत में जंगली हाथियों का वर्तमान वितरण दक्षिण भारत, उत्तर पूर्व सहित उत्तर पश्चिम बंगाल, मध्य भारतीय राज्य उड़ीसा, दक्षिण पश्चिम बंगाल और झारखंड, और उत्तर पश्चिम भारत उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश तक ही सीमित है।

4.1.2. संरक्षण के मुद्दे

एशियाई हाथियों के लिए सबसे बड़ा खतरा हैं:

- पर्यावास हानि, विखंडन, और गिरावट;
- अवैध हत्या (उदाहरण के लिए उनके हाथी दांत और अन्य उत्पादों के लिए या मानव-हाथी संघर्ष के प्रतिशोध में); और

- छोटे जनसंख्या आकार और अलगाव के परिणामस्वरूप अनुवांशिक व्यवहार्यता का नुकसान।

मानव-हाथी संघर्ष

- तमिलनाडु, असम, केरल, ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल आदि में मानव-हाथी संघर्ष तेजी से बढ़ रहा है, जिसका कारण है:
    - आवास की गिरावट और विखंडन,
    - गलियारों की रुकावट,
    - अवैध कटाई,
    - जंगलों के भीतर परिक्षेत्र,
    - चाय/कॉफी बागानों के भीतर गलियारों पर श्रमिक कॉलोनियां, अतिक्रमण, तीर्थयात्रियों की आवाजाही आदि।
- मानव-पशु संघर्ष के कारण देश में हर साल कम से कम 100 हाथियों और 400 इंसानों की मौत हो रही है।

4.2. प्रोजेक्ट एलीफेंट

4.2.1. प्रोजेक्ट एलीफेंट की शुरूआत

- प्रोजेक्ट एलीफेंट को भारत सरकार द्वारा वर्ष **1992 में केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में** शुरू किया गया था।

4.2.2. प्रोजेक्ट एलीफेंट का उद्देश्य

- हाथियों, उनके आवास और गलियारों की रक्षा के लिए।
- मानव-पशु संघर्ष के मुद्दों को हल करने के लिए।
- पालतू हाथियों का कल्याण।

4.2.3. प्रोजेक्ट एलीफेंट का कार्यान्वयन

- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय प्रोजेक्ट एलीफेंट के माध्यम से देश के प्रमुख हाथी रेंज वाले राज्यों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करता है।

- प्रोजेक्ट एलीफेंट मुख्य रूप से 16 राज्यों में कार्यान्वित की जा रही है: आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मेघालय, नागालैंड, उड़ीसा, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल।

4.2.4. प्रोजेक्ट एलीफेंट के तहत मुख्य गतिविधियां

- मौजूदा प्राकृतिक आवासों और हाथियों के प्रवासी मार्गों की पारिस्थितिक बहाली;
- भारत में हाथियों के आवासों और जंगली एशियाई हाथियों की व्यवहार्य आबादी के संरक्षण के लिए वैज्ञानिक और नियोजित प्रबंधन का विकास;
- महत्वपूर्ण आवासों में मानव हाथी संघर्ष के शमन के उपायों को बढ़ावा देना और महत्वपूर्ण हाथी आवासों में मानव और घरेलू स्टॉक गतिविधियों के दबाव को कम करना;
- शिकारियों और मौत के अप्राकृतिक कारणों से जंगली हाथियों की सुरक्षा के उपायों को मजबूत करना;
- हाथी प्रबंधन संबंधी मुद्दों पर अनुसंधान;
- सार्वजनिक शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रम;
- पर्यावरण-विकास और पशु चिकित्सा देखभाल।

4.3. हाथियों की अवैध हत्या का निगरानी कार्यक्रम (Monitoring the Illegal Killing of Elephants – MIKE)

4.3.1. MIKE कार्यक्रम की शुरूआत

- CITES के COP (पार्टियों के सम्मेलन) संकल्प द्वारा अनिवार्य, माइक कार्यक्रम वर्ष 2003 में दक्षिण एशिया में शुरू हुआ।

4.3.2. MIKE कार्यक्रम के उद्देश्य

- हाथियों के अवैध शिकार के स्तरों और प्रवृत्तियों को मापने के लिए;
- समय के साथ इन प्रवृत्तियों में परिवर्तन निर्धारित करने के लिए; और

- इस तरह के परिवर्तनों के कारण या उससे जुड़े कारकों को निर्धारित करने के लिए, और पार्टियों के सम्मेलन द्वारा CITES के लिए किए गए किसी भी निर्णय के परिणाम के लिए विशेष रूप से किस हद तक देखे गए रुझान का प्रयास और आकलन करना है।

4.3.3. MIKE कार्यक्रम का कार्यान्वयन

- प्रोजेक्ट एलिफेंट 2004 से औपचारिक रूप से 10 हाथी रिजर्व में MIKE प्रोग्राम को लागू कर रहा है।
- कार्यक्रम के तहत, सभी स्थानों से डेटा मासिक आधार पर निर्दिष्ट MIKE पेट्रोल फॉर्म में एकत्र किया जा रहा है और दिल्ली में स्थित दक्षिण एशिया कार्यक्रम के लिए उप क्षेत्रीय सहायता कार्यालय को प्रस्तुत किया जा रहा है जो कार्यक्रम के कार्यान्वयन में मंत्रालय की सहायता कर रहे हैं।

4.3.4. भारत में MIKE स्थान

- चिरांग-रिपु हाथी रिजर्व (असम)
- देवमाली हाथी रिजर्व (अरुणाचल प्रदेश)
- दिहिंग पटकाई हाथी रिजर्व (असम)
- गारो हिल्स हाथी रिजर्व (मेघालय)
- पूर्वी डुआर्स हाथी रिजर्व (पश्चिम बंगाल)
- मयूरभंज हाथी रिजर्व (ओडिशा)
- शिवालिक हाथी रिजर्व (उत्तराखंड)
- मैसूर हाथी रिजर्व (कर्नाटक)
- नीलगिरि हाथी रिजर्व (तमिलनाडु)
- वायनाड हाथी रिजर्व (केरल)

भारत में हाथी रिजर्व (ER) की सूची

क्र.सं.	हाथी रिजर्व	राज्य	अधिसूचना की तिथि	कुल क्षेत्रफल (वर्ग किमी)
1	रायला ER	आंध्र प्रदेश	09.12.2003	766
2	कामेंग ER	अरुणाचल प्रदेश	19.06.2002	1892

3	दक्षिण अरुणाचल ER	अरुणाचल प्रदेश	29.02.2008	1957.50
4	सोनितपुर ER	असम	06.03.2003	1420
5	दिहिंग-पटकाई ER	असम	17.04.2003	937
6	काजीरंगा-कार्बी आंगलोंग ER	असम	17.04.2003	3270
7	धनसिरी-लुंगडिंग ER	असम	19.04.2003	2740
8	चिरांग-रिपु ER	असम	07.03.2003	2600
9	बादलखोल-तमोरपिंगला	छत्तीसगढ	15.09.2011	1048.30
10	लेमरू ER	छत्तीसगढ	2022	450
11	सिंहभूम ER	झारखंड	26.09.2001	4530
12	मैसूर ER	कर्नाटिक	25.11.2002	6724
13	इंडेली ER	कर्नाटिक	26.03.2015	2,321
14	वायनाड ER	केरल	02.04.2002	1200
15	नीलांबुर ER	केरल	02.04.2002	1419
16	अनामुदी ER	केरल	02.04.2002	3728
17	पेरियार	केरल	02.04.2002	3742
18	गारो हिल्स ER	मेघालय	31.10.2001	3,500
19	इंटंकी ER	नगालैंड	28.02.2005	202
20	सिंहफन ER	नगालैंड	16.08.2018	23.57
21	मयूरभंज ER	ओडिशा	29.09.2001	3214
22	महानदी ER	ओडिशा	20.07.2002	1038
23	संबलपुर ER	ओडिशा	27.03.2002	427
24	नीलगिरी ER	तमिलनाडु	19.09.2003	4663
25	कोयम्बटूर ER	तमिलनाडु	19.09.2003	566
26	अन्नामलाई ER	तमिलनाडु	19.09.2003	1457
27	श्रीविल्लीपुत्तूर ER	तमिलनाडु	19.09.2003	1249
28	अगस्त्यमलाई ER	तमिलनाडु	12.08.2022	1,197.48
29	उत्तर प्रदेश ER	उतार प्रदेश	09.09.2009	744
30	तराई ER	उतार प्रदेश	2022	3049
31	शिवालिक ER	उत्तराखंड	28.10.2002	5405
32	मयूरझरना ER	पश्चिम बंगाल	24.10.2002	414

33	पूर्वी डुआर्स ER	पश्चिम बंगाल	28.8.2002	978

4.4. हाथियों की गणना

- सबसे हालिया हाथी गणना में **29,964 हाथियों की संख्या** दर्ज की गई थी, जो 2017 में आयोजित की गई थी।
- हाथियों की गणना प्रत्येक 5 वर्ष में एक बार की जाती है।
- हाथियों की जनगणना 2017 के अनुसार, **कर्नाटक में** हाथियों की **सबसे अधिक** संख्या (6,049) है, इसके बाद क्रमशः असम (5,719) और केरल (3,054) हैं।
- जहां तक क्षेत्रों का संबंध है, सबसे अधिक जनसंख्या दक्षिणी क्षेत्र (11,960) में थी, इसके बाद पूर्वोत्तर क्षेत्र (10,139), पूर्व-मध्य क्षेत्र (3,128) और उत्तरी क्षेत्र (2,085) का स्थान था।
- भारतीय विज्ञान संस्थान (बेंगलुरू) में एशियाई प्रकृति संरक्षण फाउंडेशन (Asian Nature Conservation Foundation-ANCF), कई गैर सरकारी संगठनों और स्वतंत्र संरक्षणवादियों ने इस अभ्यास में परियोजना हाथी निदेशालय और 23 राज्यों के वन विभागों की सहायता की।
- हाथियों की रक्षा के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान, "गज यात्रा", जिसे 12 हाथी रेंज राज्यों को कवर करना था, को हाथी जनगणना की प्रस्तुति के दौरान लॉन्च किया गया था।
- 2017 की जनगणना सूचकांक संकेत देते हैं कि हाथियों की आबादी जन्म दर सहित बढ़ रही है और यहां तक कि उनकी भौगोलिक सीमा भी बढ़ गई है।
- हालाँकि, यह 1990 के दशक के बाद से हाथियों की आबादी में मामूली वृद्धि दर्शाता है।
- पर्यावास विखंडन के कारण, हाथी कृषि परिदृश्यों की ओर जा रहे हैं, जिससे मानव-हाथी संघर्ष में वृद्धि हो रही है, जिसके परिणामस्वरूप फसल क्षति और हाथियों के जीवन की हानि दोनों हो रही है।

4.5. हाथियों के संरक्षण के लिए अन्य पहल

4.5.1. भारत के राष्ट्रीय विरासत पशु के रूप में हाथी

- हाथी को राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति की सिफारिशों के बाद 2010 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया है।

4.5.2. हाथी मेरे साथी

- इसे 24 मई 2011 को दिल्ली में आयोजित हाथी- 8 मंत्रिस्तरीय बैठक में लॉन्च किया गया था।
- अभियान का उद्देश्य भारत में हाथियों के संरक्षण, रक्षण और कल्याण में सुधार करना है।
- यह भारत के वन्यजीव ट्रस्ट के सहयोग से पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया था।

4.5.3. अभियान शुभंकर गाजू

- यह विभिन्न समूहों पर ध्यान केंद्रित करता है जिसमें हाथियों के आवास के पास स्थानीय लोग, युवा, नीति निर्माता और अन्य शामिल हैं।
- यह योजना पूरे देश में हाथी परिदृश्य में हाथी केंद्र स्थापित करने की कल्पना करती है।

4.5.4. हाथी टास्क फोर्स

- भारत में हाथी संरक्षण नीति का मूल्यांकन करने और भविष्य की कार्रवाई को विकसित करने के लिए इतिहासकार महेश रंगराजन के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा 2010 में इसकी स्थापना की गई थी।

4.5.5. गज गौरव पुरस्कार

- यह जंगल और कैद में हाथियों के संरक्षण के लिए जमीनी स्तर पर काम करने वाले स्थानीय समुदायों, फ्रंटलाइन कर्मचारियों और महावतों के सराहनीय प्रयासों के लिए दिया जाता है।

4.5.6. गज उत्सव 2023

- 7 अप्रैल, 2023 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में गज उत्सव-2023 का उद्घाटन किया गया।
- दो दिवसीय कार्यक्रम ने प्रोजेक्ट एलिफेंट की 30वीं वर्षगांठ मनाई और इसका उद्देश्य हाथियों और उनके आवासों के संरक्षण के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना, मानव-हाथी संघर्ष को कम करना और बंदी हाथियों के कल्याण को सुनिश्चित करना था।

4.6. भारत में हाथी गलियारे

4.6.1. हाथी गलियारा (एलीफेंट कॉरिडोर) क्या है?

- एलीफेंट कॉरिडोर वनों की भूमि की संकरी पट्टी है जो हाथियों के बड़े आवासों को महत्वपूर्ण हाथियों की आबादी से जोड़ती है।
- यह हाथियों के आवास के बीच हाथियों की आवाजाही के लिए एक वाहक नाली के रूप में कार्य करता है।
- जंगल में हाथियों की आबादी की प्रजातियों के अस्तित्व और जन्म दर को बढ़ाने के लिए यह आवश्यक है।

4.6.2. भारत में हाथी गलियारों की संख्या

- भारत में लगभग 88 हाथी गलियारे हैं, जिनमें से 20 दक्षिण भारत में, 12 उत्तर पश्चिमी भारत में, 14 उत्तर पश्चिम बंगाल में, 20 मध्य भारत में और 22 उत्तर पूर्वी भारत में हैं।
- इन गलियारों का लगभग 77.3% हाथियों द्वारा नियमित रूप से उपयोग किया जाता है और इन गलियारों में से एक तिहाई उच्च पारिस्थितिक प्राथमिकता वाले हैं।

4.6.3. हाथी गलियारों के लिए प्रमुख खतरे

- हाथी आवास का नुकसान जो विकासात्मक गतिविधियों जैसे सड़कों, रेलवे, भवनों, हॉलिडे रिसॉर्ट्स और बिजली की बाड़ आदि के निर्माण के कारण होता है।
- कोयला खनन और लौह अयस्क खनन जैसी खनन गतिविधियों को मध्य भारत में हाथी गलियारों के लिए सबसे बड़े खतरों के रूप में वर्णित किया गया है।
- चरागाहों की कमी के कारण अधिकांश हाथी भंडार सभी हाथियों को समायोजित करने में असमर्थ हैं, जिसके परिणामस्वरूप हाथियों द्वारा फसलों को नष्ट करने के कारण मानव-हाथी संघर्ष होता है।

4.6.4. शमन रणनीतियाँ

- हाथियों के गलियारों को पास के संरक्षित क्षेत्रों और जहां भी संभव हो आरक्षित वन के साथ जोड़ना।
- हाथी गलियारों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों या संरक्षण भंडारों की घोषणा की आवश्यकता है।
- हाथी गलियारों को सुरक्षित करने के लिए संघर्ष क्षेत्रों के बाहर स्वैच्छिक पुनर्वास को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता पैदा करने और स्थानीय आबादी को संवेदनशील बनाने की आवश्यकता होगी।
- आवश्यकता के अनुसार आवास बहाली के साथ-साथ जानवरों की आवाजाही पर नजर रखने की भी आवश्यकता है।